



2026:AHC:128043

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 18273/2026

मोहम्मद हाफ़िज़

.....आवेदक

बनाम

यूपी राज्य

.....विपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता

: सुबांसित कुमार जायसवाल

विपक्षी के अधिवक्ता

: जी.ए.

न्यायालय संख्या - 48

माननीय न्यायमूर्ति लक्ष्मी कांत शुक्ला

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री सुवंशित कुमार जायसवाल और राज्य के विद्वान ए.जी.ए. को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया।

2. वर्तमान जमानत आवेदन में मुकदमा अपराध संख्या 299 सन् 2025, धारा 318(4), 336(3), 338, 340(2), 61(2) बी.एन.एस. के तहत, पुलिस थाना - कोटवाली नगर, जिला- मुजफ्फरनगर, विचारण की लंबितता के दौरान, आवेदक को जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दायर की गई है ।

3. अभियोजन पक्ष के अनुसार, एस.आई. इंद्रजीत सिंह ने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई थी जिसमें कहा गया था कि विश्वकर्मा चौक पर पुलिस की मौजूदगी के दौरान एक सूचनाकर्ता ने पुलिस को सूचना दी थी कि कुछ लोग निर्दोष व्यक्तियों से आधार और पैन कार्ड बनवा रहे थे

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।



और उनका इस्तेमाल फर्जी जीएसटी कंपनियां बनाने में कर रहे थे। यह भी आरोप है कि इन फर्जी कंपनियों के आधार पर वे निर्दोष व्यक्तियों को धोखा दे रहे थे। यह भी आरोप है कि अभियुक्त फर्जी बिल और ई-वे बिल तैयार करने में लगे हुए थे, जिससे सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा था और वे खुद अवैध रूप से मुनाफा कमा रहे थे।

4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि आवेदक निर्दोष है और उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में उसका नाम नहीं है, और उसका नाम केवल एक सह-अभियुक्त के इकबालिया बयान के आधार पर सामने आया है। आगे यह भी प्रस्तुत किया गया कि आवेदक का प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित सह-अभियुक्त सलीम से कोई संबंध नहीं है। जांच के दौरान, आवेदक का सह-अभियुक्त सलीम से संबंध स्थापित करने वाला कोई साक्ष्य एकत्र नहीं किया गया है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि सह-अभियुक्त मोनीस अली और अफजल को एक समन्वय न्यायपीठ द्वारा पहले ही जमानत दी जा चुकी है, एवं आवेदक इस आधार पर समानता की मांग कर रहा है कि उसकी भूमिका उस सह-अभियुक्त के समान है जिसे जमानत पर रिहा कर दिया गया है। आवेदक विधि विधि का पालन करने वाला नागरिक है और 31.01.2026 से कारागार में बंद है। यदि उसे जमानत दी जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और विचारण की कार्यवाही में सहयोग करेगा।

5. इसके विपरीत, विद्वान अपर सरकारी अधिवक्ता ने आवेदक के जमानत आवेदन का विरोध किया, लेकिन आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त तथ्यात्मक दलीलों को खारिज नहीं कर सके।

6. मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलों, अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, अभियुक्त की सह-अपराधिता, कारागारों में अत्यधिक भीड़ और विचारण न्यायालयों में आपराधिक मामलों के भारी लंबित होने, साथ ही **कपिल वधावन बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो 2025 एससीसी ऑनलाइन एससी 3038** मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय और **माया तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2024 एससीसी ऑनलाइन इलाहाबाद 6765** मामले में इस न्यायालय के जमानत देने संबंधी दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए, और मामले

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।



की गुणागुण पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मेरा मत है कि आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार है। तदनुसार, यह आवेदन स्वीकार किया जाता है।

7. उपर्युक्त अपराध में सह-अपराधिता आवेदक **मोहम्मद हाफ़िज़** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप, समान राशि के व्यक्तिगत मुचलके और दो जमानतदारों को प्रस्तुत करने पर, निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:-

i. आवेदक मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा जिससे उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की जा सके।

ii. आवेदक बिना किसी स्थगन की मांग किए विचारण / जांच में ईमानदारी से सहयोग करेगा।

iii. जमानत पर रिहा होने के बाद आवेदक किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा या कोई अपराध नहीं करेगा।

iv. आवेदक को उसके द्वारा निष्पादित बंधपत्र की शर्तों के अनुसार उपस्थित होना होगा।

8. उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने पर, जमानत रद्द करने का आधार होगा।

9. जमानत स्वीकार किए जाने से पहले आवेदक और जमानतदारों की पहचान, स्थिति और निवास प्रमाण का सत्यापन संबंधित न्यायालय द्वारा किया जाएगा।

10. आवेदक और जमानतदारों के मोबाइल नंबर और आधार कार्ड का सत्यापन संबंधित न्यायालय द्वारा किया जाना चाहिए।

11. यह भी निर्देश दिया जाता है कि विचारण न्यायालय जमानत आदेश प्रबंधन प्रणाली (बीओएमएस) के माध्यम से संबंधित कारागार को रिहाई आदेश भेजेगा ताकि आवेदक की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित हो सके।

(लक्ष्मी कांत शुक्ला, न्यायमूर्ति)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



18 जून, 2026

Translated Judgment. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।